कार्यालय, जिलाधिकारी, खगड़िया।
(जिला विधि शाखा)

आम सूचना

सरकार के संयुक्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–सी0/ए0एस0–50–34/2013/9578/जे0, दिनांक 04.12.2018 एवं 9579, दिनांक 04.12.2018 से सूचित किया गया है कि बिहार विधि पदाधिकारी (वचनवद्धता) नियमावली, 2017 के आलोक में नियुक्ति के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल विभिन्न याचिकाएँ के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त नियमावली को पुनः संशोधन कर निर्मित करने का आदेश पारित किया गया है। साथ ही विधि विभागीय पत्रांक 5190/जे0, दिनांक 24.08.2016 को निरस्त करते हुए पूर्व में निर्गत विधि विभागीय पत्रांक 3499/जे0, दिनांक 01.06.2016 को पुनर्जीवित करते हुए विधि विभागीय पत्रांक 1718/जे0, दिनांक 31.05.2003 एवं पत्रांक 3499/जे0, दिनांक 01.06.2016 के अनुसार लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकील एवं विभिन्न अधिनियमों से संबंधित वादों के संचालनार्थ विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हेतु अनुशंसा सूची बायोडाटा सहित विधि विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निदेश प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त पत्रों द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में नये सिरे से लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकीलं एवं विभिन्न अधिनियमों से संबंधित वादों यथा एन0डी0पी0एस0 अधिनियम, उत्पाद अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम (अपराधिक अधिनियम नियंत्रण सहित), खाद्य समिश्रण, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 से संबंधित वादों के संचालनार्थ विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हेतु इस आम सूचना के माध्यम से बायोडाटा से संबंधित विहित प्रपत्र में इच्छुक अधिवक्ता अपना आवेदन **दिनांक** ..10/1/19.. **के अपराह्न पाँच बजे संध्या** तक जिला विधि शाखा, खगड़िया में जमा करेंगे। आवेदन–पत्र सभी कॉलम एवं बायोडाटा प्रपत्र के क्रमांक 11 में जाति का उल्लेख स्पष्ट रूप से आवश्यक है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन–पत्र (बायोडाटा) पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके पूर्व में विभिन्न पदों के नियुक्ति हेतु आम सूचना के माध्यम से बायोडाटा प्रपत्र आमंत्रित की गयी थी, जिसे स्थगित किया जाता है।

अनुलग्नकः–बायोडाटा का प्रपत्र।

13/12/18
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा
खगड़िया
13/12/18

13/12
अपर समाहर्ता
खगड़िया

13/12

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक-III-03/2018 2099 /विधि, दिनांक 13-12-18

प्रतिलिपिः—जिला सत्र एवं न्यायाधीश, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/अपर समाहर्त्ता, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अध्यक्ष/सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस सूचना की एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपिः—अध्यक्ष/सचिव, अनुमंडलीय अधिवक्ता संघ, गोगरी को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस सूचना की एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपिः—जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, खगड़िया/आई0टी0 मैनेजर, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस सूचना को खगड़िया जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर तुरंत प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपिः—अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस सूचना की प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपिः—लोक अभियोजक, खगड़िया/सरकारी अधिवक्ता, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस सूचना की एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपिः—सरकार के संयुक्त सचिव, विधि विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः—बायोडाटा का प्रपत्र।

13/12/18
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा

13/12
प्रभारी
कार्यालय

13/12
जिलाधिकारी,
खगड़िया।

खगड़िया जिला के लिए बायोडाटा प्रपत्र

(लोक अभियोजक / अपर लोक अभियोजकों / सरकारी वकील / सहायक सरकारी वकीलों एवं विशेष लोक अभियोजक..)

1. अधिवक्ता का नाम :– ....

2. पिता / पति का नाम :– ....

3. स्थायी पता :– ....

....

4. वर्त्तमान पता :– ....

....

5. मोबाईल नं0 / ईमेल आई.डी. :– ....

6. पैन नं0 :– ....

7. शैक्षणिक योग्यता :– ....

8. पंजीयन संख्या एवं वर्ष :– ....

9. अधिवक्ता के रूप में योगदान की तिथि :–..

10. अनुभव (संबंधित बार एसोसियेशन से वकालत पेशा का अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र) :–

....

11. जाति / वर्ग

(सामान्य जाति / पिछड़ा जाति / अति पिछड़ा जाति / अल्प संख्यक / अनुसूचित जाति / अनु0 जनजाति / महिला) :– ....

12. अपराधिक इतिहास का पूर्ण विवरण (निष्पादित तथा लंबित सभी अपराधिक मामलों का विस्तृत विवरण दें) :–

....

....

13. नोटरी, बैंक अथवा किस संस्था का रिटेनर होने पर उसका विवरण दें :– ....

....

14. सत्यापन :–

मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे नाम से कोई व्यक्तिगत अथवा साझेदारी का व्यवसाय नहीं है।

स्थान :– ....

तिथि :– ....   आवेदक का हस्ताक्षर